279

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर जिला ग्वालियर (म.प्र.)

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/6157

विपिन कुमार तनय ... लाल जैन निवासी बुड़ेरा तहसील बड़ागांव जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

...निगराकार

बनाम

छिद्दू तनय केशर मुहम्मद निवासी बुड़ेरा तहसील बड़ागांव जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

...उत्तरवादी

श्री ... द्वारा आज दि. 18/1/17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 9/1/18 नियत।

रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र.

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

प्रतिकूल आदेश राजस्व निरीक्षक बड़ागांव धसान तहसील बड़ागांव जिला टीकमगढ़ म.प्र. के प्रकरण क्रमांक-14/अ-12/16-17 में पारित आदेश दिनांक 26.11.2016 के विरुद्ध

महोदय,

निगरानीकार की विनय सादर निम्न प्रकार है:-

(1) यह कि राजस्व निरीक्षक बड़ागांव धसान द्वारा पारित सीमांकन आदेश विधि के सापेक्ष नहीं होने के कारण निरस्ती योग्य है ।

(2) यह कि सीमांकन आदेश में लेख किया गया है कि भूमि खसरा नम्बर-816/1 स्थित ग्राम के अंश भाग पर निगरानीकार का ~~5x4~~ व नींव एवं दीवाल बनाकर अवैध कब्जा पाया गया परन्तु उनके द्वारा पारित इस आदेश में रकवा का हवाला नहीं दिया गया कि कितने रकवा पर नींव खोदकर एवं दीवाल बनाकर निगरानीकार द्वारा अवैध कब्जा किया गया है । इस तरह राजस्व निरीक्षक का सीमांकन आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं होने के कारण निरस्ती योग्य है ।

(3) यह कि उपरोक्त सीमांकन में न तो कोई पंचनामा बनाकर संलग्न किया गया एवं न ही किसी भी पक्षकार द्वारा कार्यवाही के संदर्भ में हस्ताक्षरित किया गया । जिससे यह साफ प्रतीत होता है कि सीमांकन की कार्यवाही न तो मौके पर गई और न ही विधिवत् की गई । जिससे उक्त आदेश निरस्ती योग्य है ।

(4) यह कि संहिता की धारा-129 में सीमांकन ... प्रक्रिया विहित है उसके

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/6157

जीवन कुमार विरूद्ध छिद्दू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों हस्ताक्षर
12–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री दिवाकर दीक्षिक अभिभाषक उपस्थित । 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक बड़ागांव धसान तहसील बड़ागांव, जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 14/अ–12/2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 26–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 08–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 12/3/19 सदस्य	